प्रकरण संख्या 29 / 19 2019 / 00228 ता0रजू 18.09.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. निरंजन पुत्र पुखराज उम्र 49 साल
2. राहुल पुत्र हंसराम
3. हंसराम पुत्र पुखराज
4. जानकी पुत्री लौहडे
5. बल्ला पुत्री पुखराज

समस्त जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर महावीरजी तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज.) — प्रार्थीगण

बनाम

1. दिगम्बर जैन मुमुक्ष महिला आश्रम श्रीमहावीरजी जरिये व्यवस्थापिका लक्ष्मीबाई दिग. जैन मुमुक्ष महिलाश्रम महावीरजी
2. सरकार जरिये लोक अभियोजक, न्यायालय हाजा, करौली — अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने प्रकरण मुंतकिल अंतर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी.</u>

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सायलान द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. पेश कर निवेदन किया है कि इस्तगासा उनवानी सरकार बनाम निरंजन वगै. अंतर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. न्यायालय एसडीएम हिण्डौन सिटी में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी अभी नियत नहीं की है। पिछली तारीख पेशी 22.08.2019 नियत थी। उक्त प्रकरण में एसएचओ महावीरजी व एसडीएम हिण्डौन मिलकर 145 की कार्यवाही अप्रार्थी दिगंबर जैन आश्रम के उच्च अधिकारियों के दबाब में आकर दिगंबर जैन आश्रम के पक्ष में करने पर तुले हये हैं। दिगंबर जैन आश्रम के प्रतिनिधियों से उन्होंने साज कर लिया है। प्रार्थीगण को अपने पुराने कब्जे से बेदखल करना चाहते हैं। पुलिस वाले प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते हैं। प्रार्थीगण को एसडीएम हिण्डौन के दबाब में आने के कारण यहां पक्षपात रहित जांच होना संभव नहीं लग रहा है जिससे न्याय के उद्देश्य विफल होंगे। प्रार्थीगण न्याय से महरूम हो सकते हैं। प्रार्थीगण को एसडीएम हिण्डौन से न्याय की उम्मीद नहीं है। पक्षकारान ग्राम अकबरपुर महावीरजी के निवासी हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति अकबरपुर महावीरजी में स्थित है। दिगंबर जैन मुमुक्ष महिलाश्रम एक रिसोर्सफुल संस्था है। उसके पदाधिकारियों के राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क हैं जिससे एसडीएम हिण्डौन उनके दबाब में आ गये हैं और आनन फानन में उक्त प्रकरण में विवादित स्थल पर रिसीवर नियुक्त कर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने पर तुले हुये हैं जबकि प्रार्थीगण अपने पुरखों के जमाने से वादग्रस्त स्थल को काश्त करते तथा उसमें रिहायश करते हुए चले आ रहे हैं। पुलिस थाना महावीरजी प्रार्थीगण को आये–दिन परेशान करते रहते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस करने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया है कि अप्रार्थी नं. 1 रिसोर्सफुल संस्था है जिसके उच्च अधिकारियों से सम्पर्क हैं। इस कारण एसडीएम हिण्डौन उच्चाधिकारियों के दबाब में आ गया है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा, काश्त व रिहायश है जिसे एसएचओ महावीरजी व एसडीएम हिण्डौन अप्रार्थी नं. 1 से साज करके प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं। एसडीएम हिण्डौन से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 का बहस में कथन है कि मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। मुंतकिली प्रार्थना पत्र गलत ढंग से पेश किया गया है। जिस अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिफ फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाकर यह प्रार्थना पत्र मुंतकिली पेश किया गया है, उनका स्थानांतरण हो गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उभय पक्षकारान दिनांक 16.12.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:06:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: